राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकः प.4(92) वित्त 1(1)आय व्ययक/2008 जयपुर, दिनांकः 18-09-2018

:: परिपत्र ::

विषयः– जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट हेतु संशोधित दिशा–निर्देश।

विशेष जेण्डर समूहों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति किये जाने के उददेश्य से जेण्डर रिस्पोंसिव बजटिंग (GRB) एक साधन है जो यह सुनिश्चित करता है कि लोक संसाधनों का न्यायसंगत रूप से विनिधान किया जावे। जेण्डर रिस्पोंसिव बजटिंग (GRB) के कार्यों एवं उद्देश्यों में से एक, राज्य बजट में योजनाओं का इस प्रकार समेकन करना है कि जेण्डर आधारित विश्लेषण में सुविधा रहे।

राज्य बजट में महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण हेतु किये गये बजट प्रावधान का विश्लेषण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजट से जेण्डर बजट स्टेटमेंन्ट (GBS) बजट खण्ड–4ब में सम्मिलित किया गया है। जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट (GBS) तैयार करने संबंधी दिशा–निर्देश परिपत्र क्रमांक प.4(92)वित्त–1(1)आय व्ययक/2008 पार्ट II जयपुर, दिनांक 08 नवम्बर, 2012 द्वारा जारी किये गये।

राज्य में संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के जेण्डर आधारित विश्लेषण को अधिक उपयोगी व सरल बनाने के दृष्टिकोण से जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट को संशोधित करते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 के राज्य बजट में जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 से जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट में विभागों द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं से संबंधित विशिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों तथा pro-women schemes को प्रदर्शित किया जावेगा जिनमें :–

   अ) प्रस्तावित प्रावधान में महिलाओं/बालिकाओं के लिए अंश निर्दिष्ट हो (schemes in which Women's share is specified),

   या

   ब) योजना/कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले कुल लाभार्थियों में से महिलाओं/बालिकाओं की अनुमानित संख्या के आधार पर कुल प्रस्तावित प्रावधान में महिलाओं/बालिकाओं हेतु प्रस्तावित प्रावधान की गणना किया जाना संभव हो (schemes in which Women's share is identifiable based on Gender Disaggregated Beneficiary Data)।

2. उक्त मानदण्डों के आधार पर जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट में सम्मिलित योजनाओं/कार्यक्रमों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर बजट खण्ड–4ब में प्रदर्शित किया जायेगा। जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट में श्रेणी A के अन्तर्गत उन योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जावेगा जिनमें महिलाओं/बालिकाओं के लिए 70 प्रतिशत या इससे अधिक प्रावधान प्रस्तावित किया गया है तथा श्रेणी B में महिलाओं/बालिकाओं के लिए 70 प्रतिशत से कम प्रावधान वाली ऐसी योजनाएं/कार्यक्रम, जो बिन्दु संख्या 1 में दिये गये मानदण्डों को पूरा करती हों, प्रदर्शित की जावेगी।

3.. उक्तानुसार जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट तैयार करने हेतु सभी बजट नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा बजट परिपत्र द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र–11 में आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि की जावेगी। विभागों द्वारा

प्रपत्र–11 में सूचनाओं की प्रविष्टि के लिए बिन्दु संख्या 1 द्वारा निर्धारित मानदण्डों का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। योजनाओं/कार्यक्रमों में महिलाओं/बालिकाओं हेतु जेण्डर बजट के अन्तर्गत प्रस्तावित राशि/प्रतिशत प्रावधान को अंकित करते समय जिन मान्यताओं (underlying assumptions) को विभाग द्वारा आधार बनाया गया है, उसे विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से विशिष्ट टिप्पणी के रूप में अंकित किया जावेगा।

4. जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट तैयार करने हेतु विभागों से अद्यतन सूचनाएं /डाटा के संकलन का कार्य महिला अधिकारिता (नोडल विभाग) द्वारा आयोजना विभाग के सहयोग से किया जावेगा।

GRB के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजस्व अर्जित करने वाले विभागों से अपेक्षित है कि राजस्व नीतियों का निर्धारण करते समय जेण्डर संवेदी विवेचन कर यह सुनिश्चित किया जाये कि राजस्व प्राप्तियों/करारोपण के परिणामस्वरूप महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार व्यय से संबंधित विभागों द्वारा भी उनके द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का समय–समय पर जी.पी.आई. (Gender Parity Index) के आधार पर मूल्यांकन/समीक्षा की जावे जिससे राजकोषीय नीति के माध्यम से जेण्डर समानता के उद्देश्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन प्रक्रिया के दौरान विभाग मासिक योजना क्रियान्विति कलेण्डर (Monthly Programme Implementation Calendar) संधारित करें जिसके माध्यम से लाभान्वित महिला एवं पुरूष के लिंग आधारित आंकडों का संकलन हो सके एवं जिनके आधार पर आवश्यकता अनुरूप नीति (Need Based Policy) का निर्धारण विभाग द्वारा किया जा सके।

जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट तैयार कराने हेतु उक्त निर्देशों की पालना कराने के लिए महिला अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। जिसके द्वारा विभागों के जेण्डर बजट विवरण की त्रैमासिक समीक्षा सुनिश्चित की जावेगी।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

क्रमांकः प.4(92) वित्त 1(1)आय व्ययक/2008 जयपुर, दिनांकः 18-09-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
3. समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी
4. परियोजना समन्वयक, जेण्डर प्रकोष्ठ, महिला अधिकारिता विभाग
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)

निदेशक (बजट)

[10/2018]